न्यायालय– अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज(सीनियर डिवीजन) बॉदा।
दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–215/11/19
सीएनआर यूपीबीडी050042512019 रजि.260/19
श्रीमती रूकसाना बनाम टिंकू
धारा–156(3)दं0प्र0सं0
थाना–पैलानी, जनपद–बॉदा

17.01.2020

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–156(3)दं0प्र0सं0 प्रस्तुत हुई, जिसपर पूर्व नियत तिथि पर प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

संक्षेप में प्रार्थिया के प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–156(3)दं0प्र0सं0 के तथ्य इसप्रकार हैं कि दिनांक 14.12.2019 को सुबह लगभग 9 बजे प्रार्थिया अपने टायलेट से लैट्रिन होकर आ रही थी कि विपक्षी टिंकू ने उससे अश्लील बातें कर उसको पकड़कर दिन दहाड़े अश्लील हरकतें करते हुये उसके स्तनों को मसल दिया। प्रार्थिया अपनी इज्जत बचाने के लिये काफी भिड़ी व चिल्लाई तब लड़की सलमा व पड़ोस के लोगों के आने पर उसकी इज्जत बची। वह उक्त घटना की रिपोर्ट लिखाने थाना पैलानी गई लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। प्रार्थिया ने दिनांक 19.12.19 को पुलिस अधीक्षक बांदा को जरिये रजिस्ट्री सूचना दिया लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई।

थाने से प्रकरण के संबंध में आख्या आहूत की गई जिसपर प्रभारी निरीक्षक थाना पैलानी की आख्या दिनांक 03.01.2020 के अनुसार थाना हाजा पर मु0अ0सं0150/19 धारा 354ख,504 भा0द0सं0 बनाम टिंकू पुत्र बसारतशाह निवासी निवाइच थाना पैलानी बांदा के विरूद्ध पंजीकृत है।

थाना पैलानी की आख्या के अनुसार थाना स्थानीय पर विपक्षी टिंकू के विरूद्ध मुकदमा दर्ज है। ऐसीस्थिति में एक ही घटना के संबंध में दो प्राथमिकी दर्ज कराया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार प्रार्थनापत्र श्रीमती रूकसाना धारा 156(3)दं.प्र.सं. निरस्त किया जाता है।

दिनॉकः17.01.2020 (भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/
सिविल जज(सीनियर डिवीजन) बॉदा।